समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्ति शाखा)

उपावंटन आदेश

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–33 (बजट)/खाद्य दिनांक–25.09.2014 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष–102 सिविलपूर्ति योजना, उपशीर्ष–0004, पी0डी0एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड संख्या–N3456001020004 गैर योजना मांग संख्या–18 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ इकाई मद में प्राप्त आवंटन में से निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के पदनाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है:–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदा0 का पदनाम	नियोजित कार्यपालक सहायक की संख्या			उपावंटित राशि
		प्रखण्ड	अनुमंडल	कुल	
1	2	3	4	5	6
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	4	1	5	3,15,000.00
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर	3	1	4	2,07,000.00
4	अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर	1	1	2	1,26,000.00
कुल :–		**8**	**3**	**11**	**6,48,000.00**

(कुल मो0 छः लाख अड़तालीस हजार रूपये मात्र)।

(1) यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, लघु शीर्ष–102, सिविलपूर्ति योजना उपशीर्ष–0004, पी0डी0एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड संख्या–N3456001020004 गैर योजना मांग संख्या–18 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–687/वि0 दिनांक–24.07.2014 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए छः माह हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई हैं।

(3) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद संबंधी समय–समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगततान की जायेगी।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गई राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होगें। इसके अतिरिक्त यदि राशि की आवश्यकता होगी तो उसके सम्बन्ध में मांग पत्र अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उसके लिये राशि की व्यवस्था की जाय।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–8025 दिनांक–21.05.2013 के द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा–निदेश तथा इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

(6) प्रस्तावित आवंटन 9000 रूपये मासिक प्रति कार्यपालक सहायक के दर से उपावंटित की गयी है।

(7)संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर मानदेय भुगतान किया जाए!

8.10.14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 901 /जि0आ0, दिनांक 09.10.2014

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, मुंगेर/तारापुर/खड़गपुर एवं कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.10.14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक................../जि0आ0, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदापधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.10.14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।